

फर्द अहकाम  
(नियम 20) (फोर्म 3)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवली जिला टोंक राज0

जीतुलिन

बनाम

TDR Nagar Fort

किस्म मुकदमा

128



प्रार्थना पत्र

न0

129

सन्

2025

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज   | नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हो |
|-------------|--|---|
| 15/9/25     | <p>पत्रावली पेश की गई। अधिवक्ता वादी/प्रार्थी द्वारा पेश प्रकरण रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी/अप्रार्थी गण की तलबी / रजिस्टर ए.डी. से जारी हो। तहसीलदार ..... 15/9/25 ..... को 128 स्थिति रिपोर्ट हेतु पत्र जारी हो।</p> <p>पत्रावली दिनांक ..... 21/10/25 ..... को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><br/>उपखण्ड अधिकारी<br/>देवली</p>  |   |
|             | <p>21/10/25 पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र व तहसीलदार देवली रिपोर्ट का अवलोकन किया गया, अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। अतः अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र 128 एल0आर0 एक्ट मुताबिक तहसीलदार नगरफोर्ट की रिपोर्ट के स्वीकार योग्य होने से प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न जमाबंदी संवत् 2071-2073 अंकित ग्राम फुलेता पटवार हल्का नगरफोर्ट तहसील नगरफोर्ट में खाता संख्या 94 खसरा नम्बर 1914 रकबा 0.3000 है0, खसरा नम्बर 2769/1911 रकबा 1.1400 है0 कुल किता 2, रकबा 1.4400 है0 भूमि पर खातेदार का कब्जा होने एवं किसी न्यायालय का स्थगन नहीं होने पर उक्त भूमि की विधिवत् पत्थरगढी प्रार्थी/प्रार्थीगण व पडोसी खातेदार की उपस्थिति में नियमानुसार राजकीय शुल्क जमा कराने पर किए जाने हेतु आदेशित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। नियमानुसार बाद पूर्ति दाखिल दफतर हो।</p> <p style="text-align: center;">निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल की जाती है।</p> <p style="text-align: center;"><br/>उपखण्ड अधिकारी<br/>देवली<br/>देवली (टोंक)</p> |   |